रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 406] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 24, 1974/आश्विन 2, 1896

No 406] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 24, 1974/ASVINA 2, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Central Secretariat 9 OCT 1974 Govt. of India

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 1974

S.O. 568(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 258 of the Constitution and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 2480, dated the 24th July, 1967 in so far as it relates to the former Union Territory of Himachal Pradesh, the President, with the consent of the Government of Himachal Pradesh hereby entrusts to that Government the functions of the Central Government (i) in relation to any matter specified in sub-clause (c) and (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923), and (ii) under section 13 of the said Act where the offences under that Act are committed in relation to any prohibited place specified in sub-clauses (c) and (d of clause (8) of section 2 of the said Act, subject to the condition that notwithstanding such entrustment the said function may also be exercised by the Central Government.

[No. F.16/3/74-Poll.II]

C. V. NARASIMHAN, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1974

सा० आ० 568 (अ).—संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय के तारीख 24 जुलाई, 1967 के सांविधिक आदेश 2480 के रूप में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना के अधिक्रमण में, जहां तक इसका संबंध हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व संघशासित क्षेत्र से है, राष्ट्रपति, हिमाचल प्रदेश को सरकार की सहमति से एतद्द्वारा निम्न/लिखित के संबंध में केन्द्रीय सरकार के कृत्य उस सरकार को सौंपते हैं अर्थात (i) सरकारी गुप्त बात अधिनियम 1923 (1923 का 19) की धारा 2 के खण्ड (8) के उप खण्ड (ग) और (घ) में निर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में और (ii) उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन निर्दिष्ट मामलों में जिनमें कि उस अधिनियम के अधीन अपराध उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (8) के उप खण्ड (ग) और (घ) में निर्दिष्ट किसी निषिद्ध स्थान के संबंध में किये गये हों, परंतु यह शर्त लगाई जाती है कि शक्तियां इस प्रकार से सौंपे जाने के बावजूद उक्त कृत्य केन्द्रीय सरकार द्वारा भी किये जा सकते हैं।

[सं० फा० 16/3/74-पौल II]

सी० वी० नरसिम्हन, संयुक्त सचिव

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974